राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर
E-Mail ID:- sjeraj_dev@yahoo.co.in

क्रमांकः–एफ.11(164)/सा.न्या.अ.वि./दे.यो./दे.गु.यो./2018–19/40553 जयपुर, दिनांकः– 10-07-2019

आदेश

देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित देवनारायण गुरूकुल योजना के तहत उच्च प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों के चयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, संचालन एवं उच्च प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों के चयन हेतु निर्देशिका वर्ष 2015–16 में वर्णित दिशा–निर्देश दिनांक 16.02.2015 जो कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये है। योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 1.5 में वर्णित राज्य स्तरीय समिति में माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के निर्देशों की पालना में संशोधन कर निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती है :–

योजना के दिशा–निर्देशो के बिन्दू सं.	विद्यमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.5	(i) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग – अध्यक्ष (ii) शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप सचिव स्तर से कम का नहीं हो – सदस्य (iii) वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा – सदस्य (iv) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य (v) निदेशक सान्याअवि द्वारा मनोनीत राज्य स्तरीय अधिकारी – सदस्य (vi) प्रभारी अधिकारी योजना (निदेशालय) – सदस्य सचिव	(i) आयुक्त/निदेशक, सान्याअवि – अध्यक्ष (ii) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर – सदस्य (iii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी जो उप सचिव स्तर से कम का नहीं हो – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा–सदस्य (v) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य (vi) प्रभारी अधिकारी योजना (निदेशालय) बीकानेर – सदस्य (vii) अतिरिक्त निदेशक (देव.यो.) – सदस्य सचिव

देवनारायण गुरूकुल योजना के अन्तर्गत उच्च प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों के चयन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु दिशा–निर्देशों की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

C:\Users\Devnarayan Board\Dropbox\Dev Narayan Room 303\Dev Narayan yojana\letter.docx 955

क्रमांकः–एफ.11(164)/सा.न्या.अ.वि./दे.यो./दे.गु.यो./2018–19/40554-68 जयपुर, दिनांकः– 10-07-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
9. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. वित्तीय सलाहकार मुख्यावास।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. उप निदेशक (प्रचार– प्रसार) मुख्यावास।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (देव.यो.)